सं. 25013/3/2019-स्था.क-IV

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 20 जून, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- प्रशासन का सुदृढ़ीकरण -मूल नियम (एफआर) 56(जे)/(एल) एवं सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अधीन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सावधिक समीक्षा।

अधोहस्ताक्षरी को मूल नियम (एफआर) 56(जे)/(एल) और सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अधीन प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सावधिक समीक्षा करने के लिए इस विभाग के दिनांक 21.03.2014 के का.ज्ञा. सं. 25013/1/2013-स्था.क, दिनांक 11.09.2015, 11.03.2016 एवं 10.08.2017 के का.ज्ञा. सं. 25013/1/2013-स्था.क-IV का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. उपरोक्त विषय पर विस्तृत दिशा-निर्देश http://dopt.gov.in पर 'अधिसूचनाएं' → का.ज्ञा. एवं आदेश → स्थापना → समयपूर्व सेवानिवृत्ति लिंक पर पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/बैंकों एवं स्वायत्त संस्थानों सहित पूर्ण भावना के साथ अक्षरश: सावधिक समीक्षाएं करें। लोक उद्यम विभाग भी सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ इसका संकलन एवं प्रतिपरीक्षण करेगा।

4. मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित प्रक्रिया जैसे जनहित में सरकारी सेवक को समयपूर्व सेवानिवृत्ति करने के निर्णय का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ एवं कर्नल जे. एन. सिन्हा [1571 एससीआर(1) 791] के मामले में दिए गए आदेश के अनुसार ये निर्णय मनमाना और संपार्श्विक आधार पर नहीं होना चाहिए।

5. सभी मंत्रालय/विभाग 15 जुलाई, 2019 से आरंभ करते हुए प्रत्येक माह के 15वें दिन नीचे दिए गए प्रपत्र में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लोक उद्यम विभाग को भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ आंकड़ों का संकलन करने एवं प्रतिपरीक्षण करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

क्रमश: ---2

मूल नियम 56 (जे) के अंतर्गत समूह-वार (क/ख/ग) समीक्षा किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	मूल नियम 56 (जे) के अंतर्गत समूह-वार (क/ख/ग) समीक्षा किए गए कर्मचारियों की संख्या	समूह-वार (क/ख/ग) समीक्षा किए गए और मूल नियम 56 (जे) लागू/संस्तुत किए गए कर्मचारियों की संख्या	मूल निय 56 (जे) के अंतर्गत समूह-वार (क/ख/ग) समय पूर्व सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4

सूर्य नारायण झा
20.6.19

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 2304341

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(मानक सूची के अनुसार)

प्रति प्रेषित:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
12. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
13. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
14. सभी मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी।
15. एडीजी (एम ऐंड सी), प्रेस सूचना केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
16. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (उक्त ज्ञापन को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर 'कार्यालय ज्ञापन और आदेश'→स्थापना→समयपूर्व सेवानिवृत्ति शीर्ष के अंतर्गत अपलोड करने हेतु) प्रेषित।